रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार 27 जून, 1984/6 आषाढ़, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 जून, 1984

क्रमांक एल०एल०आर०-डी०(6)20/84––हिमाचल प्रदेश वन परिरक्षण और वस्तु प्रदाय अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्यांक 2) जैसा राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश, द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अन्तर्गत दिनांक 23 जून, 1984 को प्रख्यापित किया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 348(3) में अपेक्षित अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशित किया जाता है।

वेद प्रकाश भटनागर,
सचिव (विधि)।

1329-राजपत्र/84-27-6-84––1,135.

मूल्य : 20 पैसे।

1984 का अध्यादेश संख्यांक 2.

हिमाचल प्रदेश वन परिरक्षण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश, 1984

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश राज्य में वनों के परिरक्षण के और समुदाय को आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय रखने के प्रयोजन के लिए, कुछ मामलों में निवारक निरोध का तथा उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;

और इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के अनुदेश प्राप्त कर लिए गए हैं ;

अतः अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश बनाते और प्रख्यापित करते हैं।

संक्षिप्त नाम

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन परिरक्षण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश, 1984 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. इस अध्यादेश, में जब तक कि, सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "बोर्ड" से धारा 9 के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "निवारक आदेश" से धारा 3 के अधीन किया गया आदेश अभिप्रेत है ;

(ग) "उच्च न्यायालय" से हिमाचल प्रदेश उच्च न्याय लय अभिप्रेत है ;

(घ) "वन उपज" के वही अर्थ हैं जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2 के खण्ड (4) में हैं ; और 1927 का 16

(ङ) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इस अध्यादेश में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं और भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में हैं।

कतिपय व्यक्तियों की निरुद्ध करने का आदेश करने की शक्ति।

3. यदि राज्य सरकार का, किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में, यह समाधान हो जाता है कि राज्य में वनों के परिरक्षण और समुदाय को आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने तथा उस से सम्बद्ध मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी रीति से कार्य करने से उसे निवारित करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है तो वह, यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगी कि ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाए।

स्पष्टीकरण

इस धारा के प्रयोजनों के लिए "राज्य में वनों के परिरक्षण और समुदाय को आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाए रखने तथा उससे सम्बन्ध मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी रीति से कार्य करना" पद से अभिप्रेत है --

1927 का 16.
1978 का 28.
1981 का 6.
1982 का 5.

(क) भारतीय वन अधिनियम, 1927 हिमाचल प्रदेश भू-परिरक्षण अधिनियम, 1978, हिमाचल प्रदेश विरोजा और विरोजा उत्पाद (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1981 या हिमाचल प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1982 या किसी वन उपज के नियतण, उपार्जन, प्रदाय या वितरण, या व्यापार और वाणिज्य से सम्बन्धित, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करना, या ऐसा अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करना या उकसाना; या

(ख) अभिलाभ प्राप्त करने की दृष्टि से वन उपज का किसी ऐसी रीति से व्यवहार करना जिससे खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के उपबन्ध प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: विफल हो जाए या विफल किए जा सकते हैं ।

निरोध के आदेशों का निष्पादन।

1974 का 2.

4. निरोध के आदेश का निष्पादन भारत में किसी भी स्थान पर, उस रीति किया जा सकेगा जो दण्ड प्राक्रिया संहिता, 1973 के अधीन गिरफ्तारी के वारण्ट के निष्पादन के लिए उपबंधित है।

निरोध का स्थान और शर्तों के विनियमन की शक्ति।

5. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी बाबत निरोध आदेश किया गया है, निम्नलिखित के लिए दायी होगा --

(क) ऐसे स्थान हैं और ऐसी शर्तों के अधीन, जिनके अन्तर्गत, भरणपोषण, अनुशासन और अनुशासन के भंग के लिए दण्ड के बारे में शर्तें भी हैं, जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें विरुद्ध किए जानें; और

(ख) निरोध के एक स्थान से, निरोध के दूसरे स्थान को, चाहे वह राज्य में हो या राज्य के बाहर हो, राज्य सरकार के आदेश द्वारा हटाए जाने का दायी होगा ।

परन्तु राज्य सरकार खण्ड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति को राज्य के बाहर किसी स्थान पर हटाने का आदेश उस राज्य सरकार की सहमति से ही देगी अन्यथा नहीं जिसमें वह स्थान स्थित है, जहां व्यक्ति को हटाया जाना है।

निरोध के आदेशों का कतिपय आधारों का अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील न होना ।

6. कोई निरोध आदेश केवल इस कारण अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील नहीं होगा

कि :—

(क) उसके अधीन निरुद्ध किया जाने वाला व्यक्ति, राज्य सरकार की या आदेश करने वाली व्यक्ति की क्षेत्रीय अधिकारिता की सीमाओं के बाहर है, या

(ख) ऐसे व्यक्ति के निरोध का स्थान उक्त सीमाओं के बाहर है।

फरार व्यक्तियों के सम्बन्ध में शक्तियां।

7. (1) यदि राज्य सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है, कि कोई व्यक्ति जिस के सम्बन्ध में निरोध का आदेश किया गया है, फरार हो गया है या अपने को इस प्रकार छिपा रहा है कि उस आदेश का निष्पादन नहीं किया जा सकता है जो राज्य सरकार :—

(क) उस तथ्य की लिखित रिपोर्ट, ऐसे प्रथम वर्ग न्यायकि मैजिस्ट्रेट को करेगी, जो उस स्थान पर अधिकारिता रखता है, जहां उक्त व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, या

(ख) राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा उक्त व्यक्ति को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे अधिकारी के समक्ष, ऐसे स्थान पर ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, हाज़िर हो।

(2) किसी व्यक्ति के विरुद्ध उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन रिर्पोट किए जाने पर, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82, 83, 84 और 85 के उपबन्ध, उक्त व्यक्ति और उसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होगें मानों उसे निरुध करने का आदेश मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया गिरफतारी का वारण्ट हो। 1974 का 2.

(3) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जारी किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो, जब तक वह, यह साबित नहीं कर देता है कि उसका अनुपालन उसके लिए सम्भव नहीं था और उसने आदेश में वर्णित अधिकारी को, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, उस कारण की, जिससे उसका अनुपालन असम्भव हो गया था तथा अपने पते-ठिकाने की सूचना दे दी थी, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (3) के अधीन प्रत्येक अपराध सब संज्ञेय होगा।

निरोध आदेश के प्रभावित व्यक्तियों को निरोध के आदेश के आधारों का प्रकट किया जाना।

8. (1) जब कोई व्यक्ति निरोध के आदेश के अनुसरण में निरुद्ध है, तब आदेश करने वाला प्राधिकारी, यथाशक्य शीघ्र, किन्तु निरोध की तारीफ से साधारण तौर पर पांच दिन के भीतर और असाधारण परिस्थितियों में, और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, दस दिन के भीतर, उसको वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है। और राज्य सरकार को, उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का, उसे शीघ्रतम अवसर देगा।

(2) उप-धारा (1) की कोई बात प्राधिकारी से यह अपेक्षा नहीं करेगी कि वह ऐसे तथ्यों को प्रकट करें जिन्हें प्रकट करना वह लोकहित के विरुद्ध समझता है।

सलाहाकार बोर्ड का गठन।

9. (1) जब भी आवश्यकता हो, राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रयोजनार्थ एक या अधिक सलाहकार बोर्ड गठित करेगी।

(2) ऐसा प्रत्येक बोर्ड तीन ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित हैं, और ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) राज्य सरकार, सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में से एक सदस्य को, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

सलाहकार बोर्ड को निर्देश।

10. इस अध्यादेश में जैसा अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें इस अध्यादेश के अधीन निरोध का आदेश किया गया है राज्य सरकार उस आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के निरोध की तारीख से चार सप्ताह के भीतर, धारा 9 के अधीन अपने द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष, उन वे आधारों को जिन पर वह आदेश किया गया है और उस आदेश से प्रभावित व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को यदि कोई हो, रखेगी।

सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया।

11. (1) सलाहकार बोर्ड अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और राज्य सरकार से या राज्य सरकार के माध्यम से इस प्रयोजनार्थ बुलाए गए किसी व्यक्ति से या सम्बन्धित व्यक्ति से, ऐसी अतिरिक्त जानकारी मंगाने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझें, और यदि किसी विशिष्ट मामले में वह ऐसा करना आवश्यक समझता है या यदि सम्बद्ध व्यक्ति यह चाहता है कि उसे सुना जाए, तो वैयक्तिक रूप से उसे सुनने के पश्चात्, राज्य सरकार को, सम्बद्ध व्यक्ति के निरोध की तारीख से दस सप्ताह के भीतर, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट में, उसके पृथक भाग में, सलाहकार बोर्ड की यह राय विनिर्दिष्ट की जाएगी कि सम्बद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं।

(3) जब सलाहकार बोर्ड को गठित करने वाले सदस्यों में मतभेद हो, तब ऐसे सदस्यों की बहुसंख्या की राय बोर्ड की राय समझी जाएगी।

(4) इस धारा की कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध निरोध का आदेश किया गया है, सलाहकार बोर्ड को निर्देश से सम्बन्धित किसी मामले में, किसी विधि व्यवसायी द्वारा उपसंजात होने के लिए हकदार नहीं बनाएगी और रिपोर्ट के उस भाग के सिवाय, जिसमें सलाहकार बोर्ड की राय विनिर्दिष्ट हो, सलाहकार बोर्ड की कार्यवाहियां और उसकी रिपोर्ट गोपनीय होगी।

सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्यवाही।

12. (1) ऐसे किसी मामले में, जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि उसकी राय में व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण है, राज्य सरकार निरोध के आदेश को पुष्ट कर सकेगी तथा सम्बद्ध व्यक्ति को उतनी अवधि पर्यन्त निरुद्ध रख सकेगी, जितनी वह ठीक समझे।

(2) ऐसे किसी मामले में, जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि उसकी राय में सम्बद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए, पर्याप्त कारण नहीं है, राज्य सरकार निरोध के आदेश को प्रतिसंहृत करेगी और व्यक्ति को तत्काल छुड़वा देगी।

निरोध की अधिकतम अवधि।

13. धारा 12 के अधीन पुष्ट किए गए किसी निरोध के आदेश के अनुसरण में, किसी व्यक्ति को निरोध में रखने की अधिकतम अवधि निरोध की तारीख से, एक वर्ष की होगी :

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात राज्य सरकार की, निरोध के आदेश को किसी पूर्वतर तारीख से, प्रतिसंहृत और उपान्तरित करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

निरोध के आदेश का प्रतिसंहरण ।

14. (1) हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1968 की धारा 20 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, निरोध के आदेश को किसी भी समय, प्रतिसंहृत या उपान्तरित कर सकेगी । 1969 का 6

(2) निरोध के आदेश का प्रतिसंहरण या अवसान ऐसे किसी मामले में जिसमें प्रतिसंहरण या अवसान की तारीख के पश्चात्, ऐसे तथ्य उद्भूत हुए हों जिन पर राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश किया जाना चाहिए उसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन नया आदेश करने से वर्जित नहीं करेगा ।

निरुद्ध किए गए व्यक्तियों का अस्थायी तौर पर छोड़ना ।

15. (1) राज्य सरकार, किसी भी समय, निदेश दे सकेगी कि निरोध के आदेश के अनुसरण में निरुद्ध कोई व्यक्ति या तो बिना शर्त या निदेश में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों पर, जो उस व्यक्ति को स्वीकार्य हों, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़ा जा सकता है और वह उसका छोड़ा जाना, किसी भी समय, रद्द कर सकेगी ।

(2) किसी व्यक्ति को छोड़े जाने का निदेश देते समय, राज्य सरकार, निदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के सम्यक रूप से अनुपालन के लिए उससे प्रतिभूओं सहित या उनके बिना बंध-पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगी ।

(3) उप-धारा (1) के अधीन छोड़ा गया कोई व्यक्ति अपने आप को उस समय और स्थान पर तथा उस प्राधिकारी के समक्ष अभ्यर्पित करेगा, जो यथास्थिति, उसके छोड़े जाने का निदेश देने वाले या उसका छोड़ा जाना रद्द करने वाले, आदेश में विनिर्दिष्ट हो ।

(4) यदि कोई व्यक्ति, बिना पर्याप्त कारण के उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से अपने आपको अभ्यर्पित करने में असफल रहेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(5) यदि उप-धारा (1) के अधीन छोड़ा गया कोई व्यक्ति उक्त उप-धारा के अधीन या उसके द्वारा निष्पादित बंध-पत्र में उस पर अधिरोपित शर्तों में से किसी को पूरा करने में असफल रहेगा तो बंध-पत्र समपहृत्त घोषित कर दिया जाएगा और उसके द्वारा आबध्य कोई व्यक्ति उसकी शास्ति के संदाय के लिए दायी होगा ।

सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

16. इस अध्यादेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशायित किसी बात के लिए कोई वाद, अन्य विधि कार्यवाही राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं होगी और न कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध होगी ।

शिमला:
23 जून, 1984

होकिशे सेमा,
राज्यपाल ।

वेद प्रकाश भटनागर,
सचिव (विधि) ।

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Van Parirakashan Aur Avashyak Vastu Pardaey Adhyadesh*, 1984 (1984 *ka* 2) *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*.]

Ordinance No. 2 of 1984.

THE HIMACHAL PRADESH PRESERVATION OF FORESTS AND MAINTENANCE OF SUPPLIES OF ESSENTIAL COMMODITIES ORDINANCE, 1984

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Thirty-fifth Year of the Republic of India.

An Ordinance to provide for preventive detention in certain cases for the purpose of preservation of forests in the State of Himachal Pradesh and maintenance of supplies of commodities essential to the community and for matters connected therewith.

Whereas the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

And whereas instructions of the President of India to promulgate this Ordinance have been obtained;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make and promulgate the following Ordinance:—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Preservation of Forests and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Ordinance, 1984.

(2) It extends to the whole of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

Definitions.

2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires:—

(*a*) "Board" means the Advisory Board constituted under section 9;
(*b*) "detention order" means an order made under section 3;
(*c*) "High Court" means the High Court of Himachal Pradesh;
(*d*) "forest produce" has the meanings assigned to it in clause (4) of section 2 of the Indian Forest Act, 1927; and

16 of 1927.

(*e*) all other words and expressions used, but not defined in this Ordinance and defined in the Indian Forest Act, 1927, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

16 of 1927.

Power to make orders detaining certain persons.

3. The State Government may, if satisfied with respect to any person that with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the preservation of the forests in the State and the maintenance of the supplies and services essential to the community and for matters connected therewith it is necessary so to do, make an order directing that such person be detained.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "acting in any manner prejudicial to the preservation of the forests in the State and maintenance of supplies of commodities essential to the community and matters connected therewith" means—

(*a*) committing or abetting or instigating any person to commit, any offence punishable under the Indian Forest Act, 1927, the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978, the Himachal Pradesh Rosin and Resin Products (Regulation of Trade) Act, 1981 or the Himachal Pradesh Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1982, or under any other law for the time being in force, relating to the control, acquisition, supply or distribution of, or trade and commerce in, any forest produce; or 16 of 1927. 28 of 1978, 6 of 1981. 5 of 1982.

(*b*) dealing in forest produce with a view to making gain in any manner which may directly or indirectly defeat or tend to defeat the enactments as are referred to in clause (*a*).

Execution of detention orders.

4. A detention order may be executed at any place in India in the manner provided for the execution of warrants of arrests under the Code of Criminal Procedure, 1973. 2 of 1974.

Powers to regulate place and conditions of detention.

5. Every person in respect of whom a detention order has been made shall be liable—

(*a*) to be detained in such place and under such conditions, including conditions as to maintenance, discipline and punishment for breaches of discipline, as the State Government may, by genera or special order, specify; and

(*b*) to be removed from one place of detention to another place of detention, whether within the State or outside the State by order of the State Government:

Provided that no order shall be made by the State Government under clause (*b*) for the removal of a person to a place outside the State, except with the consent of the State Government in which the place to which the person is to be removed is situate.

Detention orders not to be invalid or inoperative on certain grounds.

6. No detention order shall be invalid or inoperative merely by reason—

(*a*) that the person to be detained thereunder is outside the limits of the territorial jurisdiction of the State Government or officer making the order, or

(*b*) that the place of detention of such person is outside the said limits.

Powers in relation to absconding persons.

7. (1) If the State Government has reason to believe that a person in respect of whom a detention order has been made has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed, the State Government may—

(*a*) make a report in writing of the fact to a Judicial Magistrate of the first class having jurisdiction in the place where the said person ordinarily resides; or

(*b*) by order notified in the Official Gazette direct the said person to appear before such officer, at such place and within such period as may be specified in the order.

(2) Upon the making of a report against any person under clause (*a*) of sub-section (1), the provisions of sections 82, 83, 84 and 85 of the Code
1974. of Criminal Procedure, 1973, shall apply in respect of such person and his property as if the detention order made against him were a warrant issued by the Magistrate.

(3) If any person fails to comply with an order issued under clause (*b*) of sub-section (1) he shall, unless he proves that it was not possible for him to comply therewith and that he had, within the period specified in the order, informed the officer mentioned in the order of the reason which rendered compliance therewith impossible and of his whereabouts, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.

(4) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Proce-
1974. dure, 1973, every offence under sub-section (3) shall be cognizable.

Grounds of order of detention to be disclosed to persons affected by the orders.

8. (1) When a person is detained in pursuance of a detention order, the authority making the order shall, as soon as may be, but ordinarily not later than five days and in exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writing, not later than ten days from the date of detention, communicate to him the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order to the State Government.

(2) Nothing in sub-section (1) shall require the authority to disclose the facts which it considers to be against the public interest to disclose.

Constitution of Advisory Board.

9. (1) The State Government shall, whenever necessary constitute one or more Advisory Boards for the purposes of this Ordinance.

(2) Every such Board shall consist of three persons who are, or have been, or are qualified to be appointed as, Judges of a High Court, and such persons shall be appointed by the State Government.

(3) The State Government shall appoint one of the members of the Advisory Board who is, or has been, a Judge of a High Court to be its Chairman.

Reference to Advisory Board.

10. Save as otherwise expressly provided in this Ordinance, in every case where a detention order has been made under this Ordinance, the State Government shall, within four weeks, from the date of detention of a person under the order, place before the Advisory Board constituted by it under section 9 the grounds on which the order has been made and the representation, if any, made by the person affected by the order.

Procedure of Advisory Board.

11. (1) The Advisory Board shall, after considering the materials placed before it and, after calling for such further information as it may deem necessary from the State Government or from any person called for the purpose through the State Government or from the person concerned, and if in

any particular case, it considers it essential so to do or if the person concerned desires to be heard, after hearing him in person, submit its report to the State Government within ten weeks from the date of detention of the person concerned.

(2) The report of the Advisory Board shall specify in a separate part thereof the opinion of the Advisory Board as to whether or not there is sufficient cause for the detention of the person concerned.

(3) When there is a difference of opinion among the members forming the Advisory Board, the opinion of the majority of such members shall be deemed to be the opinion of the Board.

(4) Nothing in this section shall entitle any person against whom a detention order has been made to appear by any legal practitioner in any matter connected with the reference to the Advisory Board, and the proceedings of the Advisory Board, and its report, excepting that part of the report in which the opinion of the Advisory Board is specified, shall be confidential.

Action upon the report of Advisory Board.

12. (1) In any case where the Advisory Board has reported that there is in its opinion sufficient cause for the detention of a person, the State Government may confirm the detention order and continue the detention of the person concerned for such period as it thinks fit.

(2) In any case where the Advisory Board has reported that there is, in its opinion, no sufficient cause for the detention of the person concerned, the State Government shall revoke the detention order and cause the person to be released forthwith.

Maximum period of detention.

13. The maximum period for which any person may be detained in pursuance of any detention order which has been confirmed under section 12, shall be one year from the date of detention:

Provided that nothing contained in this section shall affect the power of the State Government to revoke or modify the detention order at any earlier time.

Revocation of detention orders.

14. (1) Without prejudice to the provision of section 20 of the Himachal Pradesh General Clauses Act, 1968, a detention order may, at any time, be revoked or modified by the State Government. 16 of 1969.

(2) The revocation or expiry of a detention order shall not bar the making of a fresh detention order under section 3 against the same person in any case where fresh facts have arisen after the date of revocation or expiry on which the State Government is satisfied that such an order should be made.

Temporary release of persons detained.

15. (1) The State Government may, at any time, direct that any person detained in pursuance of a detention order may be released for any specified period either without conditions or upon such conditions specified in the direction as that person accepts, and may, at any time, cancel his release.

(2) In directing the release of any person under sub-section (1), the State Government may require him to enter into a bond with or without sureties for the due observance of the conditions specified in the direction.

(3) Any person released under sub-section (1) shall surrender himself at the time and place, and to the authority, specified in the order directing his release or cancelling his release, as the case may be.

(4) If any person fails without sufficient cause to surrender himself in the manner specified in sub-section (3), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(5) If any person released under sub-section (1) fails to fulfil any of the conditions imposed upon him under the said sub-section or in the bond entered into by him, the bond shall be declared to be forfeited and any person bound thereby shall be liable to pay the penalty thereof.

Protection of action taken in good faith.

16. No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government, and no suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person, for anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Ordinance.

HOKISHE SEMA,
Governor.

SHIMLA:
The 23rd June, 1984.

V. P. BHATNAGAR,
Secretary (Law).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।

रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, 28 जून, 1984/7 आषाढ़, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH STATE LOTTERIES

"HIMALAYAN WEEKLY"

Result of 197th draw held at Shimla on 26-6-1984

First Prize : (6) Rs. 1,00,000.00 each

HA	HB	HC
403474	233327	625433
358873	278824	252705

Second Prize : (3) Rs. 10,000.00 each

(One prize in each series):

HA	HB	HC
646808	690677	371782

Third Prize (240) Rs. 500.00 each

(Two prizes in each series):

(All the ticket numbers ending with the last five digits in all series):

50394	49860	46923	36925	37937
06115	38828	47556	31135	90433

1333-राजपत्र/84-28-6-84—1,100.

मूल्य : 20 पैसे ।